न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
48/2017/प्रार्थना पत्र	06.04.2017	16.05.2017

उनवान

रंगलाल पिता पन्ना जाट निवासी अरनिया चौहान तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– रामलाल पिता चन्द्रा जाट निवासी अरनिया चौहान तह0 फूलियाकलां
2– रेखा पत्नि पवन मेहता,जैन,महाजन निवासी अरनिया चौहान
3– पुष्पाकंवर पत्नि केसरसिंह राजपूत निवासी अरनिया चौहान

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 110 आ0न0 543/1 रकबा 0.38 है0, आ0न0 708/542 रकबा 2.13 है0, आ0न0 709/542 रकबा 0.02 है0 कुल किता 03 रकबा 2.53 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीत की सीमाओं के पड़ोसी होने से विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वारा–2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर रखा जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.05.2017 को विपक्षीगण 2 के विरूद्व अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कार्यवाही नही चाही गई है जिससे उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती है। विपक्षीगण 1 व 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी दिनांक 16.05.2017 को उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरनिया चौहान पटवार मण्डल ईटड़िया संवत 2071 से 74 खाता संख्या 110 कुल किता 3 रकबा 2.53 है0 का प्रार्थी खातेदार

आराजी को छोड़कर शेष आराजीयात किता 2 रकबा 2.15 है0 की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 110 आ0न0 708/542 रकबा 2.13 है0, आ0न0 709/542 रकबा 0.02 है0 कुल किता 02 रकबा 2.15 है0 प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 800/— (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को केम्प ईटड़िया पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला—भीलवाड़ा

18-5-17